

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

आदेश

श्रीमती अंजू सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनपुर, सारण द्वारा दिनांक- 07.07.2016 से 21.07.2016 तक कुल-15 दिनों की उपभोगित प्रभार रहित अवधि को निम्नवत् स्वीकृत एवं विनियमित किया जाता है :-

- (i) दिनांक-07.07.2016 कुल-01 (एक दिन) - पारगमन अवधि के रूप में।
- (ii) दिनांक-08.07.2016 से 21.07.2016 तक कुल-14 (चौदह दिन) - प्रभार रहित अवधि के रूप में।

2. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(सुजाता चलाना)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक-स०क०स्था०-०१-क्षे०-०४/२०१५- 4045 पटना, दिनांक- 19.9.16
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/निदेशक,
आई०सी०डी०एस०, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
(छपरा)/कोषागार पदाधिकारी, सारण (छपरा)/श्रीमती अंजू सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
सोनपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

प्रेम प्रकाश
19-09-16